फा.सं.12/1/2018-प्रशासन भाग-1

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,

नई दिल्ली-110001

तारीख: 05.06.2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में मई, 2023 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के मई, 2023 माह के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(पी.के. त्रिपाठी)

अवर सचिव, भारत सरकार

011 -23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

<u>भारत सरकार</u>
<u>संसदीय कार्य मंत्रालय</u>

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का मई, 2023 का मासिक सारांश।

1. **माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

मई, 2023 माह के अंत में, लोक सभा के 784 और राज्य सभा के 671 आश्वासन लंबित हैं। माह के दौरान, लोक सभा की कार्यवाही से 41 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाही से 37 आश्वासन निकाले गए।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

मई, 2023 के दौरान -
क. परामर्शदात्री समितियों की 02 बैठकें आयोजित की गईं।
ख. 02 संसद सदस्यों के नामों को उनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति के पश्चात परामर्शदात्री समितियों से हटाया गया।
ग. परामर्शदात्री समिति में 01 संसद सदस्य का नामांकन पुनः बहाल किया गया।

उपरोक्त विवरण **<u>अनुबंध- I</u>** में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.05.2023 को लंबित मामले	509	124
माह के दौरान उठाए गए मामले	000	000
कुल लंबित मामले	509	124
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	146	029
शेष मामले	**363**	**095**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. मई, 2023 के दौरान, कुल 132 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया है। 43 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्णत: या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया है।

ख. केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक विहार, दिल्ली ने 04 मई, 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर युवा संसद की एक विशेष बैठक आयोजित की।

ग. मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों (ईएमआरएस) को एकीकृत करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय और आयुक्त, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) के साथ सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 10 मई, 2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

घ. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16 वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित स्थानों पर पूरा किया गया:-

i. 11 मई, 2023 को मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई
ii. 16 मई, 2023 को जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
iii. 23 मई, 2023 को शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर
iv. 30 मई, 2023 को पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

मई, 2023 के दौरान, नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

(i) 24 से 25 मई, 2023 तक राष्ट्रीय कार्यशाला-

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन(नेवा) पर की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में 24 से 25 मई, 2023 को द अशोक, नई दिल्ली में नेवा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; और वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल कार्यशाला में मुख्य अतिथि थे, उनके साथ-साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री; कोयला और खान मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य और विदेश राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन और सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, श्री वी. श्रीनिवास भी कार्यशाला में उपस्थित थे। समापन सत्र की अध्यक्षता विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने की, जिसमें सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री अलकेश कुमार शर्मा और सचिव, राज्य सभा सचिवालय, श्री राजित पुन्हानी और सीईओ, संसद टीवी भी उपस्थित थे। कार्यशाला में सभी 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों का प्रतिनिधित्व 161 प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। 21 विधानमंडलों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और 17 विधानमंडलों की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और धनराशि जारी कर दी गई हैं। उनमें से 9 विधानमंडल नेवा पर पहले ही लाइव हो चुके हैं। भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने नेवा का प्रत्यक्ष

अनुभव प्राप्त किया और उनमें से कुछ ने नेवा को प्राथमिकता के आधार पर अपनाने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया।

(ii) सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा पंजाब विधानसभा और हरियाणा विधानसभा का दौरा

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 22 मई, 2023 को पंजाब विधानसभा में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव के साथ समीक्षा बैठक हेतु पंजाब विधानसभा का दौरा किया। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने हरियाणा विधानसभा का भी दौरा किया जो पहले से ही नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं और माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा और सचिव, विधान सभा के साथ बातचीत की।

(iii) सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों द्वारा सिक्किम विधानसभा का दौरा

क. सीपीएमयू नेवा के 3 अधिकारियों ने 17 मई, 2023 से 21 मई, 2023 तक सिक्किम विधानसभा, गंगटोक का दौरा किया, ताकि विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। यह नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव होने से पहले विभिन्न विधानसभाओं को सीपीएमयू नेवा द्वारा दिया गया इन-हाउस प्रशिक्षण/ सहायता थी।

ख. नेवा एप्लिकेशन का प्रभावी उपयोग करने के लिए अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया।

(iv) आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा हरियाणा विधानसभा में नेवा की लेखा परीक्षा -

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) ने अंतिम किस्त जारी करने से पहले हरियाणा विधानमंडल में परियोजना की वित्तीय लेखा परीक्षा की। 15 से 19 मई 2023 तक परियोजना की लेखा परीक्षा करने के लिए सीपीएमयू नेवा का एक सदस्य भी आईएडब्ल्यू के साथ हरियाणा विधान सभा में गया था।

(v) टोल-फ्री नेवा हेल्प डेस्क नंबर का शुभारंभ-

मंत्रालय ने सभी नेवा उपयोगकर्ताओं और हितधारकों की सहायता के लिए 23 मई, 2023 को एक टोल-फ्री नेवा हेल्प-डेस्क नंबर -14436 लॉन्च किया।

(vi) नेवा प्लेटफार्म पर विभिन्न विधानसभाओं को उनके सत्र के संचालन हेतु प्रदान की गई सहायता

सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, तमिलनाडु और मिजोरम की विधानसभाओं को बाधारहित तरीके से नेवा प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)

- गतिविधियां की जा रही हैं और उनका अनुवीक्षण किया जा रहा है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

-इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

- वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

अनुबंध-I

मई, 2023 माह में आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	**दिन, दिनांक और समय**	**मंत्रालय**	**विषय**	**स्थान/टिप्पणी**
1.	बुधवार, 17 मई 2023 को शाम 4:00 बजे	कृषि एवं किसान कल्याण	कृषि विज्ञान केंद्र	समिति कक्ष सं "53", संसद भवन, नई दिल्ली
2.	सोमवार, 22 मई 2023 को अपराह्न 3:00 बजे	आवासन एवं शहरी कार्य	"स्मार्ट शहर परियोजना"	"होटल सिडेड डी गोवा, डोना पौला के पास, वांगुनिम बीच, गोवा 403004"

मई, 2023 के दौरान मृत्यु/इस्तीफे/सेवानिवृत्ति/निरर्हता के कारण विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए संसद सदस्य

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमें मनोनीत थे**	**कारण**
1.	श्री रतन लाल कटारिया, सांसद (लोक सभा)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	**18.05.2023 को मृत्यु** (पत्र 30.05.2023 को जारी किया गया)
2.	श्री अफ़ज़ल अंसारी, सांसद (लोक सभा)	रेल मंत्रालय	**लोक सभा की सदस्यता से निरर्हता (29.04.2023)** (पत्र 17.05.2023 को जारी किया गया)

मई, 2023 में सरकार द्वारा परामर्शदात्री समिति में संसद सदस्य का नामांकन बहाल किया गया

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमें मनोनीत है**	**टिप्पणी**
1.	श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद, सांसद (लोक सभा)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	26.05.2023 को **नामांकन बहाल**